10/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वाद वादी निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2016/00151

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण सं0 224/16 GCMS:- 2016/00151 दायरा दिनांक 18.11.2016

फूसाराम पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी चक 16 एस.टी.जी. चक झाणा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– वादी –

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादी –

उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल चाण्डक (अभिभाषक वादी)
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

वाद अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 10.12.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया सक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक वाद इस कथन के साथ पेश किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा अनअधिवासित कृषि भूमि आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत रोही सांवलसर तहसील सूरतगढ़ के ख0नं0 15 में 25 बीघा व ख0नं0 18 में 25 बीघा कुल 50 बीघा का आरजी आवंटन दस वर्ष हेतु किय गया आवंटन बाद गुजरने मियाद शर्तो की पालना पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के आधीन किया गया। आवटित भूमि की खातेदारी दिनांक 30.11.1974 को आवटिती फुसाराम को उक्त भूमि कि खातेदारी प्रदान कर दी गई यह भूमि बाद मे खसरा परिर्वतन कर खसरा नं0 15 की 25 बीघा व 18 की 25 बीघा नवीन खसरा नं0 रोही सावंलसर के ख0नं0 285 में 1.619 है0 बारानी द्वितीय व ख0नं0 286 में 7.588 बारानी द्वितीय व ख.नं. 303 में 3.516 कुल 12.723 है0 बारानी द्वितीय वादी के नाम परिवर्तित होकर बतौर खातेदार दर्ज कागजात हुई इसके बाद जमाबन्दी में ख.नं. 307 में 6.324 है0 व ख.नं. 383 में 5.261 है0 बारानी व कुल 1.585 है0 रकबा वादी के नाम दर्ज न कर सीधे रकबा राज अंकित कर दी गई जो कि कतई गैरकानूनी है। वादी इस रकबे का खातेदार कृषक घोषित होने का पात्र है वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया व उनका जवाब दावा प्राप्त कर पत्रावली के संलग्न किया गया व निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

तनकी नं0 1 आया वादी को राजस्व तहसील सूरतगढ़ के ग्राम सांवलसर की रोही के खसरा नं0 15 में 25 बीघा व खसरा नं0 18 में 25 बीघा बारानी रकबा आवंटन हुआ ?

–– वादी

तनकी नं0 2 आया वादी के पक्ष में ग्राम सांवलसर की रोही का खसरा नं0 15 की 25 बीघा व खसरा नं0 18 की 25 बीघा कुल 50 बीघा रकबा की खातेदारी स्वीकृत हुई

––वादी

तनकी नं0 3 :– आया वादी के पक्ष में अतिरिक्त बारानी रकबा को राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज किया है, यह इन्द्राज हुआ है के कारण वादी इसे सशोधित कराने की घोषणा स्वीकार कराने का हकदार नहीं है ––प्रतिवादी

तनकी नं0 4 :– आया वादी ग्राम सांवलसर की रोही का खसरा नं0 307 की 6.324 है0 व खसरा नं0 383 की 5.261 है0 कुल 11.585 है0 रकबा के समबन्ध में रकबा राज

लगातार 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

के इन्द्राज को कलमजन करवाकर उक्त रकबा वादी के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज किये जाने की घोषणा स्वीकार कराने का हकदार नहीं है ?

तनकी नं0 5 :– अनुतोष ?

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य लिये गये वादी की और से वादी स्वंय क शपथ पत्र व ब्यान लिये गये एंव वादी द्वारा प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी रोही सांवलसर ख0नं0 303 में 3.516 है0 व खं0नं0 285 व 286 कि गिरदावरी रोही सांवलसर सम्वंत 2038 पेश की गई जिन्हे शामिल मिशल किया गया।

साक्ष्य आने के बाद तर्क सुने गये वादी के अभिभाषक द्वारा वाद पत्र के कथन दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी को प्रस्तुत पटटा आवंटन दिनांक 16.09.1969 रोही सांवलसर की खसरा नं0 15 में 25 बीघा व 18 में 25 बीघा कुल 50 बीघा भूमि दस साला आवंटित कि गई थी। जो बाद गुजरने दस वर्ष खातेदारी अधिकार दिये जाने के शर्त के आधीन थी। दस वर्ष बाद राजस्व तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि कि खातेदारी सनद वादी के नाम जारी कि गई जिसकी नकल वाद के साथ संलग्न है उसका अवलोकन करवाया भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा जमाबन्दी सम्वंत 2035–44 रोही सांवलसर के खाता सं0 40 का अवलोकन करवाया जिसमें वादी के नाम खसरा नं0 285, 286, 303 में कुल 12.723 है0 बारानी का खाता बतौर खातेदारी दर्ज कागजात है इसमें से ख0नं0 303 एंव 307 का कुल 11.583 है0 भूमि रकबा राज दर्ज कर दी गई जो कि पुराने ख.नं. 285 ओर 303 से ही बने है। यह रकबा राज कतई गलत दर्ज किये गये है। वादी का 50 बीघा खातेदारी का अधिकार रोही सांवलसर में है जो कि गलत रूप से रकबा राज दर्ज कर दिये गये है इस अंकन को निरस्त कर वादी के नाम रोही सांवलसर की जमाबन्दी में अंकित खसरा नं0 307 में 6.3240 है0, 383 में 5.2610 है0 कुल 11.583 है0 भूमि को रकबा राज से कलमजन कर वादी के नाम से अंकित की जावें। इसी अनुसार वादी को इस भूमि का खातेदार घोषित किया जावें वाद वादी पुर्णतयाः साक्ष्य से सिद्ध मानते हुए निर्णय करने कि प्रार्थना की। तर्को के समर्थन में न्याय निर्णय प्रकाशित आर.बी.जे. 1995 पेज नं. 780 पतराम बनाम सरकार पेश किया। सरकार द्वारा राज्य हित को देखते हुए निर्णय करने कि प्रार्थना की गई।

बाद सुनने तर्क पक्षकारान तर्को के परिपक्ष में पूर्ण पत्रावली का तर्को के परिपेक्ष में पठन व मनन किया गया। विस्तृत विवेचन तनकी वार निम्न प्रकार से है :–

तनकी नं0 1 आया वादी को राजस्व तहसील सूरतगढ़ के ग्राम सांवलसर की रोही के खसरा नं0 15 में 25 बीघा व खसरा नं0 18 में 25 बीघा बारानी रकबा आवंटन हुआ ?

—— वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने आवंटन पटटा एंव खातेदारी सनद की सत्यप्रति पेश की है साथ में स्वंय के ब्यान शपथ पत्र पर पेश किए है इस आधार पर यह तनकी प्रमाणित होता है कि वादी को रोही सावंलसर के ख.नं. 15 व 18 में प्रत्येक में 25 बीघा अर्थात 50 बीघा का आरजी काश्त आवंटन शर्ते 1957 के अधीन दस वर्षीय आवंटन में गुजरने म्याद उक्त भूमि की खातेदारी वादी को दी गई तनकी स्वीकृत हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं0 2 आया वादी के पक्ष में ग्राम सांवलसर की रोही का खसरा नं0 15 की 25 बीघा व खसरा नं0 18 की 25 बीघा कुल 50 बीघा रकबा की खातेदारी स्वीकृत हुई

——वादी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार 3 पर

इस तनकी का विस्तृत विवेचन तनकी नं0 1 में किया जा चुका है तनकी नं0 2 बहक वादी निर्णय कि जाती है।

तनकी नं0 3 :– आया वादी के पक्ष में आवटित व खातेदारी रकबा को राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज किया है, यह इन्द्राज गलत हुआ होने के कारण वादी इसे सशोधित कराने की घोषणा स्वीकार कराने का हकदार नहीं है —–प्रतिवादी

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं दिया गया किन्तु वादी द्वारा दिये गये साक्ष्य के आधार पर यह माना जा सकता है कि वादी को ख.नं. 15 व 18 रोही सावंलसर में 50 बीघा आवंटन हुआ था उसे रोही सावंलसर के ख.नं. 307 और 383 में किस प्रकार परिवर्तन किया गया स्पष्ट नहीं है। इसलिए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर वादी को रोही सांवलसर के खं.नं. 307 व 383 में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते यह तनकी बहक प्रतिवादी निर्णय कि जाती है।

तनकी नं0 4 :– आया वादी ग्राम सांवलसर की रोही का खसरा नं0 307 की 6.324 है0 व खसरा नं0 383 की 5.261 है0 कुल 11.585 है0 रकबा के समबन्ध में रकबा राज के इन्द्राज को कलमजन करवाकर उक्त रकबा वादी के नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज किये जाने की घोषणा स्वीकार कराने का हकदार नहीं है ?

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था। उस द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ किन्तु वादी द्वारा भी मिलान खसरा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी तनकी के सम्बध में अभिभाष वादी द्वारा किया गया न्याय निर्णय भी विवेचित किया जाना उचित है इस न्याय निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि खातेदारी होने के बाद नियम 14(4) में आवंटन के सम्बध में नियम उल्लघंन का प्रश्न विचारणीय नहीं है। प्रस्तुत मामले में यह कही नहीं कहा गया कि आवंटिती का आवंटन निरस्त किया गया है प्रस्तुत मामला यह है आवंटित द्वारा इस मामले में अपने नाम आवटित रकबा के खसरा नं0 15 व 18 कि भूमि 50 बीघा को नये खसरे बताकर व उन खसरा जात की भूमि अपने आवटित खसरा से खसरा नं0 307 व 383 बताते हुए उन नये खसरों कि भूमि 11.585 है0 अपने नाम खातेदारी की घोषणा चाही है रकबा बाद खातेदारी निरस्त कहीं नही बताया गया। इसलिए प्रस्तुत न्याय निर्णय इस मामले में प्रभावशील नहीं होता। परिर्वतन खसरा कि नकल प्रस्तुत किए बिना यह तनकी सन्देह से परे सिद्ध नहीं होती। इस आधार पर इस तनकी को भी तनकी नं0 3 अनुसार विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादी निर्णय किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी द्वारा परिर्वतन खसरा कि नकल प्रस्तुत न होने से वादी के कथन वाद अनुसार सिद्ध नहीं होते। आवटित खसरा के अतिरिक्त अन्य किसी खसरा के वादी खातेदार घाषित होने योग्य नहीं पाया जाता। वाद वादी साक्ष्य से सन्देह से परे सिद्ध नहीं होने से निरस्त योग्य है। अतः वाद वादी बाबत घोषणा खातेदारी रोही सांवलसर तहसील सूरतगढ के खं0नं0 307 की 6.324 है0 व खसरा नं0 383 की 5.261 है0 कुल 11.585 है0 के खा[illegible]णा करने बाबत। सन्देह से परे सिद्ध नहीं होने से निरस्त कि[illegible] न्यायालय में सुनाया गया ड्रिकी जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में आ[illegible] दिनांक 10.12.2024 को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत– सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास– सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण सं0 224 दायरा दिनांक 18.11.2016

फूसाराम पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी चक 16 एस.टी.जी. चक झाणा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– वादी –

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादी –

उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल चाण्डक (अभिभाषक वादी)
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 10.12.2024

वाद अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर यह मुकदमा आज वास्ते इनफिस्लाय कतई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वाद वादी बाबत घोषणा खातेदारी रोही सांवलसर तहसील सूरतगढ़ के खं0नं0 307 की 6.324 है0 व खसरा नं0 383 की 5.261 है0 कुल 11.585 है0 के खातेदार घोषणा करने बाबत। सन्देह से परे सिद्ध नहीं होने से निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगे।

नोज .....x.....मुबलिग.....x.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर .....x.....फसदो की पालना.....x.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10.12.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:30 IST
Reason: SelfAttested